रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2009/चैत्र 30, 1931
No. 66] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2009/CHAITRA 30, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 2009

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2009

सं. भाराराप्र/12011/13/95-प्रशासन (पार्ट).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 द्वारा पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1997 (जिसे यहां इसके बाद में प्रमुख विनियम कहा गया है) के विनियम 13 में उप-विनियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम होंगे :—

"(1) उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसने इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया हो अथवा जिसने बेईमानी, उपेक्षा, अनियमित उपस्थिति, अदक्षता, नशा अथवा आलस्य जैसा कोई कार्य किया हो अथवा जिसने जानबूझकर कोई ऐसा कार्य किया हो जो प्राधिकरण के हितों के प्रतिकूल हो अथवा इसके अनुदेशों की अवज्ञा हुई हो अथवा जिसने अनुशासन भंग किया हो अथवा जिसके पास उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति पाई गई हो तो उसके ऊपर निम्नलिखित शास्तियां लगाई जा सकती हैं :—

छोटी शास्तियां

(i) परिनिन्दा;

(ii) उसकी पदोन्नति रोकना;

(iii) उसके द्वारा उपेक्षा या आदेशों के भंग से सरकार को पहुंचाई गई धन संबंधी हानि की उसके वेतन में से पूर्णत: या भागत: वसूली;

(iv) समय वेतनमान में एक अवस्था नीचे निम्नतर अवस्था पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवनति;

(v) वेतनवृद्धि रोकना ;

बड़ी शास्तियां

(vi) खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाए किसी विशेष/निर्धारित अवधि के लिए समय वेतन को किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धि के विलंबन पर उक्त समय

वेतनमान की स्तरावनति का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं ;

(vii) किसी निम्नतर वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में ऐसी अवनति जो सामान्यत: जिस वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा से अवनति की गई हो उस पर अधिकारी अथवा कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए बाध्य होगी, इसके साथ ऐसे निर्देश भी दिए जा सकेंगे कि अधिकारी अथवा कर्मचारी जिस श्रेणी या पद या सेवा से अवनत किया गया है उसमें प्रत्यावर्तन की क्या शर्त होगी और ऐसी श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन की दशा में उसकी वरिष्ठता और वेतन की बाबत क्या होगा;

(viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा;

(x) सेवा से हटाया जाना, जो सामान्यत: सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी ।

(1)(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में लागू कोई भी संशोधन जहाँ कहीं इस विनियम में छोटी अथवा बड़ी शास्तियों का उल्लेख किया जाता है आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा ।

(2) किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर सिवाय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में आदेश के उप-विनियम (1) के खंड (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), अथवा (x) में विनिर्दिष्ट शास्ति नहीं लगाई जाएगी और लिखित में प्रतिपादित आरोप अथवा आरोपों के बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा और न ही अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाएगा जिससे कि उसके पास लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से जैसा वह चाहे उत्तर देने का पर्याप्त अवसर हो और पूर्व स्थिति में उसका प्रतिवाद लिखित में लिया जाएगा और उसे पढ़ कर सुनाया जाएगा :

परंतु यह कि इस उप-विनियम की अपेक्षाओं में छूट दी जा सकती है यदि वे तथ्य जिनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी जिन्हें न्यायालय या सैनिक न्यायालय में सिद्ध कर दिया गया हो या जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया हो या जहां किसी अन्य कारणवश उससे संपर्क करना अव्यवहार्य हो अथवा जहां उन पर नजर रखना मुश्किल हो तथा इन अपेक्षाओं में अधिकारी अथवा कर्मचारी के प्रति कोई अन्याय हुए बिना छूट दी जा सकती है ।"

3. विनियमों के विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित, विनियम होगा :—

"25. अवशिष्ट मामले :—

वे मामले जिनके संबंध में इन विनियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के उपबंधों और केन्द्र सरकार द्वारा उसके तहत जारी निर्देशों के तहत विनियमित किए जाएंगे ।"

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/09-असा.]

पाद टिप्पणी :—मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/13/95-प्रशा., तारीख 25 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 25 अप्रैल, 1997 में प्रकाशित की गई थी ।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2009

The National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2009

No. NHAI/12011/13/95-Admn (Pt.).—In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations to amend the National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1997, namely :—

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 13 of the National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the principal regulations), for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), an officer or employee who commits a breach of any of the provisions of these regulations or who displays dishonesty, negligence, irregular attendance, inefficiency, drunkenness or

indolence or who knowingly does anything detrimental to the interests of the Authority or in disobedience with its instructions, or who commits a breach of discipline or is found to possess wealth disproportionate to his known sources of income shall be liable to the following penalties :—

Minor Penalties

(i) censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;

(v) withholding of increments of pay;

Major Penalties

(vi) save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in the timescale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer or employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay:

(vii) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the officer or employee to the time-scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or Service from which the officer or employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

(1)(a) Any amendment effected in rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 shall be applicable *mutatis mutandis* wherever minor or major penalties are referred to in this regulation.

(2) No officer or employee shall be subject to the penalties specified in clauses (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) or (x) of sub-regulation (1), except by an order in writing signed by the disciplinary authority, and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the officer or employee so that he may have reasonable opportunity to answer them in writing or in person, as he prefers, and in the latter case his defence shall be taken down in writing and read to him:

Provided that the requirements of this sub-regulation may be waived, if the facts on the basis of which action is to be taken have been established in a court of law or Court Martial or where the officer or employee has absconded or where it is for any other reason impracticable to communicate with him or where there is difficulty in observing them and the requirements can be waived without injustice to the officer or employee.".

3. For regulation 25 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"25. Residuary matters —

Matters with respect to which no specific provisions have been made in these regulations, shall be regulated under the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, and the instructions issued thereunder by the Central Government."

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT/III/4/122/09-Exty.]

Foot note. —The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/13/95- Admn., dated the 25th April, 1997, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th April, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.